

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/289

दिनांक - 30.1.20

प्रार्थी
1 लखसिंह पुत्र अगरसिंह
जाति राजपूत निवासी
चन्दाणियों की ढाणी,
बान्दरा तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 अर्जुनराम पुत्र जेताराम 2 राणाराम पुत्र भीखाराम 3
मुकनाराम पुत्र दलाराम 4 भंवराराम पुत्र उतमाराम जाति
जाट 5 रायसिंह 6 बलवन्तसिंह पिसरान अगरसिंह जाति
राजपूत 7 डालुराम पुत्र रतनाराम जाति मेघवाल निवासी
चन्दाणियों की ढाणी बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 58/2018

दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा चन्दाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 682/461 रकबा 37.09 बीघा, खसरा संख्या 683/444 रकबा 18.00 बीघा व खसरा संख्या 684/444 रकबा 10.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 30-1-20

क्रमांक :- रीडर/2020/290-93

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. लखसिंह पुत्र अगरसिंह जाति राजपूत निवासी चन्दाणियों की ढाणी, बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी अर्जुनराम पुत्र जेताराम वगैराह जाति जाट निवासी चन्दाणियों की ढाणी, बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

